

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं- 1264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्याइस्था 23, 1936

No- 1264]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)  
(भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण)  
अधिसूचना

नई दिल्ली 13, जून, 2014

का.आ. 1523(अ).--भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 के नियम 3 के उपनियम (3) और उप-नियम (4) के साथ पठित भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (द्वे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार में किसी रजिस्ट्रीकृत नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कृषि वाणिज्यों के भंडारण को अवधारित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	वस्तुओं के नाम
(1)	(2)
1.	अपरिष्कृत कपास
2.	बिनीले की खली*
3.	परिष्कृत, विरंजित और निर्गंधीकृत पामोलिन*
4.	परिष्कृत सोया तेल*
5.	सोया का आटा*
6.	गुड़* या जैगरी
7.	पिपरमेंट का तेल*
8.	अपरिष्कृत पामोलिन तेल*

\*प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए अपेक्षित वाणिज्यों ।

2. उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट वस्तुएं भारतीय मानक ब्यूरो या एगमार्क या भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के क्वालिटी विनिर्देशों या मानकों का अनुपालन करेंगे ।  
परंतु उन वाणिज्यों के लिए मानक विद्यमान न होने की दशा में, भारतीय मानक ब्यूरो या एगमार्क या भारत के खाद्य सुरक्षा और मानकों प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी निकायों द्वारा अधिकथित क्वालिटी मानक लागू होंगे ।

481

- 3. उन वाणिज्यों के लिए, जिनके लिए रासायनिक या सहबद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण अपेक्षित है, भारतीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा परीक्षण और अंशशोधन के लिए अधिसूचित सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, सभी प्रत्यायित प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्राधिकृत हैं।
- 4. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य सरकार की सभी प्रयोगशालाएं तथा वाणिज्यों के परीक्षण के लिए उनके द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं परीक्षण कर सकती हैं।

[फा.सं. 27-1/2010-डब्ल्यूडीआरए (अधिसूचना) ]  
रणवीर सिंह, संयुक्त सचिव, डब्ल्यू.डी.आर.ए.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION  
(Department of Food and Public Distribution)  
(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2014

**S.O. 1523(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (n) of sub-section (2) of Section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), read with sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 3 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010, the Warehousing Development and Regulatory Authority, hereby determines that the agricultural commodities specified in the Table below shall be stored in a registered warehouse, namely:—

**TABLE**

Sl. No.	Name of the commodity
(1)	(2)
1.	Raw Cotton
2.	Cotton seed oil cake*
3.	Refined, Bleached and Deodorized Palmolein*
4.	Refined soya oil*
5.	Soya meal*
6.	Gur or Jaggery*
7.	Mentha oil*
8.	Crude Palmolein oil*

\* Commodities requiring laboratory analysis.

2. The commodities specified in the said Table shall comply with the qualitative specifications or standards of the Bureau of Indian Standards or Agmark or Food Safety and Standards Authority of India:

Provided that in case, the Bureau of Indian Standards or the Agmark or the Food Safety and Standards Authority of India standards do not exist for those commodities, quality standards laid down by the Central Government or the State Governments or the Government bodies shall be applicable.

3. For the commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all Agmark laboratories, all accredited laboratories notified by the National Accreditation Board for Testing and Calibration and laboratories recognised by the Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India are authorized for laboratory testing.

4. In addition, the Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them may conduct testing of commodities.

[F. No. 27-1/2010-WDRA (Notification)]

RANVIR SINGH, Jt. Secy. WDRA